

की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत विपक्षी संख्या 01 से 04 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है साथ ही प्रार्थीगण को खसरा संख्या 480, 520 गै.मु. आचा (कूर) के उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नहीं करे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला तक विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शूमार हो। निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को सरे ईजलास पढकर सुनाया गया।

उपखण्ड-अधिकारी
सुपरीम कोर्ट
फलिपीकला, जिला-भक्तियारा

नि-समाप्त

सौ ली

सौ ली
जगदीश

नि-वीर

नि-शुभा

नि-शुभा

नि-शुभा